इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्याष्ट्रेश राजापजा

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1841

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-ए-3-24-2015-1-पांच(23).—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन कराए बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में.--

- (1) नियम 11 में.—
 - (एक) उपनियम (1) में, खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए.
 - ''(छह) पेन अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की दशा में टैन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न होगी.'';
 - (दो) उपनियम (१-क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(ख) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पूर्व में पेन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उस अधिकारी को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर पेन के विवरण प्रस्तुत करेगा.''
- (2) नियम ७५ में, उपनियम (२-क) में,-
 - (एक) प्रथम परंतुक में, अंक और शब्द ''30 दिन'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''15 दिन'' स्थापित किए जाएं;
 - (दो) द्वितीय परंतुक में, अंक और शब्द ''60 दिन'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''30 दिन'' स्थापित किए जाएं;
 - (तीन) द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 - ''परंतु यह भी कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व इलेक्ट्रानिक रूप में जारी प्ररूप 49, पूर्व में विहित कालाविध अथवा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की कालाविध के लिए, जो भी पूर्वत्तर हो, वैध होगा.''

2. यह संशोधन दिनांक 1 जून 2015 से से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-ए-6-24-2015-1-पांच(23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-24-2015-1-पांच (23), दिनांक 15 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2015

No. F-A-3-24-2015-1-V (23).—Whereas, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20, of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) In rule 11,—
 - (i) in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be inserted, namley:—
 - "(vi) accompanied by self certified copy of the PAN or in case of Central or State Government, the TAN.";
 - (ii) after sub-rule (1a), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(1b) The registered dealer who has already not furnished details of PAN to the appropriate Commercial Tax Officer or any other Officers authorised by the Commissioner in this behalf, shall furnish details of PAN to the said Officer within 30 days from the date of amendment by this notification."
- (2) In rule, 75, in sub-rule (2A),—
 - (i) in the first proviso, for the figure and word "30 days", the figure and word "15 days" shall be substituted;
 - (ii) in the second proviso, for the figure and word "60 days", the figure and word "30 days" shall be substituted:
 - (iii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided also that the Form 49 issued electronically prior to the amendment by this notification, shall be valid for a period as prescribed earlier or for a period of 15 days from the date of amendment by this notification, whichever is earlier."
- 2. These amendment shall come into force from 1st June 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.